

7.8.25 x

7.8.25 पशावली पेशी में ली गयी  
वाही की और से अधिवक्ता  
कमराम भीजलरा उपस्थित। वास  
पत्र Not Press में खारिज किये  
जाने का निवेदन किया। वासपत्र  
खारिज कर पशावली कावल 6927  
की जाली का आदेश सुनाया  
गया।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

रघुचन्द

महोदय

1

2